संख्या 3/3450/12-2-2013-बजट-8/2008

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2013

विषय जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या शो0 एवं मृ0सर्वे0/521/पत्रा0सं0-1/वि0 स्वीकृति/2013-14 दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 तथा शासनादेश संख्या 1180/12-2-2013-बजट-8/2008 दिनांक 17 अपैल, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण एवं जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 76276 हजार (रूपये सात करोड बासठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष संलग्न विवरण के अनुसार रू0 28438 हजार (रूपये दो करोड चौरासी लाख अडतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

3 शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

4 मशीनों/उपकरणों का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत शासनादेशों तथा नियमों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

5 यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी भी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6 तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

http://shasanadesh.up.nic.in

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

संख्या 3450/12-2-2013-बजट-8/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित-

1; महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
4 वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5 संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6 संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या- /3450/12-2-2013-बजट-8/2008 दिनांक 21 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जाने धनराशि
02- मजदूरी	4960	2480
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	19400	-
27-सब्सिडी	3536	1768
29-अनुरक्षण	1125	562

http://shasanadesh.up.nic.in

42-अन्य व्यय	4855	2428
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	41320	20660
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1000	500
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	80	40
योग-	76276	28438

(रूपये दो करोड चौरासी लाख अडतीस हजार मात्र)

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in